हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 65

सोमवार, 16 मार्च, 2015/25 फाल्गुन, 1936(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

02-01-00 PM

प्रश्नोत्तरः

(I) तारांकित प्रश्नः

श्री सुरेश भारद्वाज सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1393 का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1532 से 1536 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1537 से 1563 एवं 1565 से 1568 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 700, 738 एंव अतारांकित प्रश्न संख्या 761 से 774 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

03-08-35 PM

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

03-09-35 PM

3. कागजात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फर्स्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःका0(नि-4)-ए(3)-1/2012 दिनांक 31.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 09.02.2015 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (टवेन्टि नाईन्थ ॲमेंडमेंट) रेगुलेशनज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(3)-2/2014-25 दिनांक 10.02.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.03.2015 को प्रकाशित ।

(2) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी ।

03-10-15 PM

4. **सदन की समिति के प्रतिवेदन ः**

श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **86वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **87वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सिविल) पर आधारित तथा **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

03-10-45 PM

5. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः**

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री महेन्द्र सिंह

   (03-15-00 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

   माननीय उद्योग मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण दिया।
2. श्री महेश्वर सिंह
3. श्री रविन्द्र सिंह

   (04-43-30 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)
4. श्री जय राम ठाकुर
5. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर
6. श्री नरेन्द्र ठाकुर

05-52-00 PM

माननीय मुख्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रविन्द्र सिंह, सदस्य ने स्पस्टीकरण मांगा तथा कहा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उत्तर में जिला कांगड़ा में हुई वारदातों का उल्लेख नहीं किया है। अतः विरोधस्वरूप विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ किः

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 201 5 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, ह्दय से आभार प्रकट करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

सदन की बैठक अपराह्न 06-40-00 बजे मंगलवार, दिनांक 17 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।